

सं0 सं0-5 बजट (1) 24/2022 । १६.५.२० (वि)

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग  
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

सेवा में,

द्वारा:-

विषय-

महाशय,

अबुबकर सिद्दीख पी0, भा० प्र० स्ट०  
सरकार के सचिव।

महालेखाकार  
झारखण्ड, रॉची।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉची, दिनांक ०१। ०४। २२

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो० 950.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध राशि मो० 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाइल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस० एप्लीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाइल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जर्यति रोहू/तिलापिया आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (विरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, निझी क्षेत्र में महाझीणा पालन, देशी मागुर पालन, पर्ल कल्वर तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, 5000 मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 6500 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 19000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :—

मांग स 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष-2405 मछली पालन–उप शीर्ष-20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रु० में)

क्रम	लघु शीर्ष-101-आन्तर्देशीय मछली पालन	बजट	उपबंध	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050010120010109	18,000		17,004
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	19 मुद्रण 53S24050010120010319	11,000		11,000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050010120010320	22,000		22,000
4	21 सेमिनार / समारोह / कार्यशाला 53S24050010120010321	15,700		15,700
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323	164,000		153,222
6	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335	81,000		79,6375
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
7	59 अन्य व्यय 53S24050010120010759	7,900		7,800
			उप योग :	319,600 306,3635
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050078920010109	1,000		0,000
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	21 सेमिनार / समारोह / कार्यशाला 53S24050078920010321	3,400		3,400
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323	30,000		29,000
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	43,000		28,4375
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
5	59 अन्य व्यय 53S24050078920010759	3,000		3,000
			उप योग :	80,400 63,8375
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050079620010109	52,000		32,624
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	19 मुद्रण 53S24050079620010319	20,000		20,000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050079620010320	33,000		33,000
4	21 सेमिनार / समारोह / कार्यशाला 53S24050079620010321	32,900		32,900
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323	225,000		152,975
6	29 व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079620010329	20,000		20,000
7	31 परामर्शी शुल्क 53S24050079620010331	10,000		10,000
8	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335	127,000		127,000
9	80 मूल्यांकन 53S24050079620010380	10,000		10,000
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
10	59 अन्य व्यय 53S24050079620010759	10,100		7,800
11	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ 53S24050079620010781	10,000		10,000
			उप योग :	550,000 456,299
			सकल योग :	950,000 826,500

कुल मो 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

3. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है।
4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राशी होगे जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय—समय पर आवश्यक निदेश सोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।
6. (क) केज कल्वर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं ऑकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।
- (ख) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु० मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिकी मूल्य निर्धारित कराकर बिकी की जायेगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।
- (ग) विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुरूप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाइल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।
- (घ) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।
- (ङ) जलाशय स्तरीय 150 मछुआरों के लिए आईडेन्टीकार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, बिरसा मत्स्य किसान {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेगी।
- (च) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार-सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दरतावेज आदि की छपाई/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय/डी०पी०आर० तथा योजनाओं के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।
- (छ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु० प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(ज)	<p>उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आरो एफ० एफ० समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार खरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/-रु० प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में प्रवार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाइकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स/डीप फ्रिजर अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित 12 Paddle Wheel Aerator अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (accessories सहित) के क्य हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।</p> <p>लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।</p>
7.	संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दोषित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।
8.	परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
क.	<p>राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/-रु० की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।</p> <p>मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों के तीन दिवसीय कार्यशाला तथा रिफेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1225/-रु० की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/-रु० की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 75/-रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थीयों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 400/-रु० अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आरोएफ०एफ० लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों हैचरी संचालकों, मत्स्य विक्रेताओं आदि के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।</p> <p>मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थीयों की यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु० प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/-रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थीयों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थीयों को अधिकतम 400/-रु० मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय तक) भुगतान किया जायेगा।</p> <p>प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते</p>

हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संख्या द्वारा मांगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

परिशिष्ट-IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णीकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में नवनिर्मित 100 शैव्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ-साथ सेमिनार हॉल की आवश्यक सामग्रियों के क्य के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का क्य (GeM) के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिषत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।

झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगोशियस मछली का प्रत्यक्षण: फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगोशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिकी की जायगी।

ख. परिशिष्ट--V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिमेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी। प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगोशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं

351

5/2

107

निदान आदि के लिए आई० टी०-बेर्स्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाइट का रख-रखाव/ मोबाईल एप्प/अन्य एप्प तथा साफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक-रा० यो० प्रा०-३५/२१ राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्थीकृत्यादेश सं० ४० रा० (वि०) / मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्णीत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें MMD Approved, 16.5 Kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neoprene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 1792/- रुपये है। जबकि पूर्व आकलित दर 1600/-रु० है। अतएव लाईफ जैकेट की पूर्व आकलित दर (मो० 1600/-रु०) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो० 1200/-रु०) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी०बी०टी० की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विभूक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्थीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो० 4,00,000/- रु० मात्र के दर पर महाझीरा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु० प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु० प्रति एकड़ा) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु० प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु० प्रति एकड़ा) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय।

३०/१८

३०

४७

18. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।  
इस योजना के अन्तर्गत कोई अधिक समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
19. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना  
सं0-सी0एस0-2 / आर0 -01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को  
प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु  
मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
20. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। विषयगत  
योजनांतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में व्यय पश्चात् प्राप्त भौतिक उपलब्धि से संतुष्ट होने के उपरांत  
वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटन निर्गत किया जाय। किसी भी स्थिति में विषयगत योजना का  
दोहरीकरण नहीं हो।
22. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता
23. है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-  
प्रतिलिपि

16 RTO (प्र०) / राँची, दिनांक 01/10/2022

कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-  
प्रतिलिपि

16 RTO (प्र०) / राँची, दिनांक 01/10/2022

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध  
निदेशक, झारकोफिश, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
(सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं  
मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-  
प्रतिलिपि

16 RTO (प्र०) / राँची, दिनांक 01/10/2022

योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ आ० वि० सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं  
सहकारिता विभाग/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त  
सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/ माननीय  
विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/ मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के  
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

3  
F

- (ग) झारखण्ड स्टेट एपलीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाइल एप के साथ वेब जी0आई0एस0 एपलीकेशन विकसित किया जाने हेतु मो0 10.62 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।
- (घ) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र का दर होगा। इसे हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्याग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यागों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
13. आपूर्ति एवं सामग्री माद से आवश्यक क्य वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।
14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
16. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1050.00 लाख (संशोधित बजट मो0 839.44 लाख) रु0 मात्र के विलद्ध मो0 619.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।
17. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्य में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/ शर्तों/ नियमों का सुदृढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

30/10

21/2

20/2

परिशिष्ट ।



શોર - કાળજીએ ખોણી જો મુદ્દાને બની રહ્યા હોય

2018.01.10

190

प्रसाद



विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं सामग्री

क्रमांक	स्थानपत्र / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं खामी						विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-21-समिति/ समारोह/ कार्यशाला/ भूत्य की पुष्टिकार/ समाप्ति व्यय-21-जन्म-जन्म व्यय						कूल वित्तीय लाभ (लाख रुपय में)		
		वित्तीय लाभाओं में नियमित			भाष्यकृत विद्यालय के स्थान में अनुरूप			वित्तीय लाभ के लिये शब्द विवरण			वित्तीय लाभ के लिये शब्द विवरण					
		भूत्य पालन	भाष्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय	भूत्यकृत विद्यालय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	गोपी	0.50	0.20	100	0.500	8000	0.1600	1	1.28	110	0.22	1	0.30	2,660		
2	चूड़ी	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	50	0.10	0	0.00	0,340		
3	गुमता	0.00	0.00	50	0.250	2000	0.0400	1	1.28	60	0.12	0	0.00	1,690		
4	सिंदूरगा	0.00	0.00	20	0.100	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0,220		
5	लोहदूरगा	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	1	0.30	0,620		
6	नांदेश्वर	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	1	0.30	0,570		
7	एंटी लिंगम्	0.00	0.00	30	0.150	4000	0.0800	0	0.00	75	0.15	1	0.30	0,680		
8	प्रौढ़ी लिंगम्	0.00	0.00	30	0.150	2500	0.0500	0	0.00	45	0.09	1	0.30	0,590		
9	खट्टरपक्षी	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	80	0.16	0	0.00	1,970		
10	ट्रैम्पा	0.50	0.20	30	0.150	2500	0.0500	1	1.28	150	0.30	1	0.30	2,280		
11	आमाड़ा	0.50	0.20	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0,470		
12	झाहेगांज	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0,270		
13	पालकुड़	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0,320		
14	हजारगांव	0.50	0.20	70	0.350	6000	0.1200	1	1.28	110	0.22	1	0.30	2,470		
15	रामगढ़	0.50	0.20	30	0.150	4000	0.0800	0	0.00	90	0.18	1	0.30	0,910		
16	कोडरमा	0.00	0.00	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	1	0.30	2,100		
17	खट्टर	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	75	0.15	0	0.00	0,340		
18	गोकरा	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	0	0.00	2,000		
19	मिरिढाह	0.50	0.20	50	0.250	2000	0.0400	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0,610		
20	झनथार	0.50	0.20	45	0.225	4000	0.0800	1	1.28	70	0.14	0	0.00	1,925		
21	गोड़ा	0.00	0.00	45	0.225	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0,355		
22	पत्तार	0.50	0.20	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0,480		
23	गंदा	0.00	0.00	20	0.100	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0,230		
24	देवधर	0.00	0.00	60	0.300	5000	0.1000	1	1.28	160	0.32	1	0.30	2,300		
कुल राशि		5.00	2.00	1000	5,000	7400	1,4800	9	11.52	1700	3.40	10	3.00	26,400		

अद्विष्टकर सिद्धी या पीठ

अद्वितीय पी०

16 Sept 1982



विस्तृत वर्णन 2022-23 में पानी का अवलोकन एवं प्रयोग के लिए विभिन्न विधियाँ बनाई गई हैं।

ପ୍ରଦୀପ କାନ୍ତେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିର ପାତାଳ ପାତାଳ ପାତାଳ ପାତାଳ

**ओट** — कणकित राशि को आवटन लही समझा जाय

(ਮੋਹ ਦੇ ਕਰੋਡ ਪਚਾਸੀ ਲਾਖ ਸਾਰੇ ਹੁਜ਼ਾਰ ਪੌਂਚ ਜੀ ਲੱਡੂ ਮਾਤ੍ਰ)

(अनुशासन-सिद्धि-पीठ)  
सरकार के सचिव



परिशिष्ट-V

लक्षण

क्र.	कार्य		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	कुल वित्तीय संग्रह (लाख रु.)
			गठकों प्र०	अनुसंधान	जगरीचारप	सिमेंटेगा	इजारीचारग	कोरस्या	बोकारो	देवधर	दुकाका	जागतादा	घनवाद	रोपी	मंत्रवाल	निवेशाल
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्दर्शीय भग्नी पालन	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री														
1	गतिकारिता विभाग में 5000 विभागीय व्यय भग्नी को उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का निवेश लक्ष्य (संख्या में)	0	20	0	0	20	0	10	20	0	0	20	0	0	0	50
3	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	0	20	10	0	10	0	0	10	0	0	0	75
5	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00
6	रोपीन भग्नी पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाका का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	संचालित भग्नी पालन, रख-रखाका नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कर्तव्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	प्रयोगात्मक एवं उत्पादक लक्ष्य एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रबोच से पंगीशियां भग्नी का भौतिक लक्ष्य हेतु भूरे के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	3000
10	विभागीय प्रबोचों से पंगीशियां भग्नी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
11	निवी बोन के तालाबों में देशी गोपूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ राशि लाख रु. में)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12	निवी बोन के तालाबों में देशी गोपूर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
	योग :	101-अन्तर्दर्शीय भग्नी पालन-	12.00	32.24	0.00	0.00	5.50	2.50	1.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	62.74
ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय भग्नी उपयोजना															
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															
1	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	50	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
2	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
3	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	5	2	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	54
4	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	5.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
5	रोपीन भग्नी पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाका का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रबोचों से पंगीशियां भग्नी उपयोजना एवं उत्पादन हेतु भूरे के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
7	विभागीय प्रबोचों से पंगीशियां भग्नी उत्पादन हेतु भूरे के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
8	विभागीय तालाबों में देशी मानवू तथा कर्वई आदि नई प्रजातियों के ग्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निवी बोन के तालाबों में देशी गोपूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
10	निवी बोन के तालाबों में देशी गोपूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
11	विभागीय छक्के में पायलन प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्याकर का वित्तीय लक्ष्य	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
12	विभागीय छक्के में पायलन प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्याकर का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	उप योग :	796-जनजातीय भग्नी उपयोजना:	2.50	26.24	7.50	0.40	0.00	0.03	0.00	0.00	10.00	0.40	0.00	0.50	0.00	47.54
II	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-रोपना, चंचार एवं चंचरण रोपारे															
9	आईटी, बैरेक कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
III	विस्तृत शीर्ष-09-वैतान एवं मात्रे-09-मानदेश															
10	अनुसंधान तथा जागीरों कोन्ट्रे में रोपीन भग्नी प्रजनन हेतु मानदेश का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग :	796 - जनजातीय भग्नी उपयोजना:	2.50	33.74	10.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.40	0.00	0.50	0.00	62.54
ग	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना															
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															
1	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2	पूर्व संचालित रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
4	नए रोपीन भग्नी इकाईयों (रोपीन भग्नी पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु. में)	0.00	3.00	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	योग :	789 + अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	5.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	भूल योग :		14.50	71.48	13.50	0.40	6.50	2.50	1.50	4.00	10.00	0.40	4.00	0.50	5.00	134.28

नोट : कृषि जारी को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अधिकारी के संचिय  
सरकार के संचिय

पर्याप्त विवरण दिया गया है।

